# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 010/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/23) | 20-01-2026 | 11-02-2026 |

**उनवान**

श्री संजय कुमार जैन निवासी गोठी भवन, वार्ड नम्बर 08, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रत्यर्थी**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## –:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 08.12.2025 को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी सहायक लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./010/2026(सू.अ.)(11.02)/54 दिनांक 21.01.2026 से अपील मेमो एवं आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये, प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 11.02.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 11.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक 11.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/सू.अ.अ./2026/90 दिनांक 10.02.2026 से टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

यह कि अपीलार्थी श्री संजय कुमार जैन द्वारा दिनांक 08.12.2025 को प्रस्तुत आवेदन मय पोस्टल ऑर्डर संख्या 66TH 261837 के माध्यम से चाही गई सूचना इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/सू.अ.अ./2025/1837 दिनांक 17.12.2025 के माध्यम से प्रेषित कर दी गई थी। उक्त पत्र को भारतीय ड़ाक विभाग की स्पीड पोस्ट रसीद संख्या RT181370559IN दिनांक 19.12.2025 के माध्यम से प्रेषित की गई। स्पीड पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.12.2025 को उक्त ड़ाक अपीलार्थी स्वयं द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। ट्रेकिंग रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में विधिवत प्रेषित कर दी गई थी। अतः अपील खारिज फरमावे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.12.2025 से वांछित उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ.अ./2025/1837 दिनांक 17.12.2025 से स्पीड पोस्ट क्रमांक RT181370559IN दिनांक 19.12.2025 से उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा स्पीड पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट क्रमांक RT181370559IN अनुसार अपीलार्थी स्वयं को उक्त ड़ाक दिनांक 20.12.2025 को डिलीवर्ड हो चुकी है।

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्रांक सू.अ.अ./2025/1837 दिनांक 17.12.2025 से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना जरिये स्पीड पोस्ट उपलब्ध कराई जा चुकी है जिससे हस्तगत अपील पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)